जैवविविधता विरासत स्थलों (BHS) के चयन और व्यवस्थापन के लिये मार्गदर्शक तत्व

KALPAVRIKSH
कल्पवृक्ष
Environmental Action Group

सूची

१. **जैवविविधता विरासत स्थलों (Biodiversity Heritage Sites (BHSs) के लिए मार्गदर्शन–संरक्षण, नियंत्रण और समुदाय** ०१

(BHS के चयन और व्यवस्थापन पर राष्ट्रीय जैव विवधता प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक तत्वों पर टिप्पणी)

२. **जैवविविधता विरासत स्थलों (BHS) के चयन और व्यवस्थापन के लिये मार्गदर्शक तत्व** ०७

जैवविविधता विरासत स्थलों (Biodiversity Heritage Sites (BHSs)) के लिए मार्गदर्शन–संरक्षण, नियंत्रण और समुदाय

(BHS के चयन और व्यवस्थापन पर राष्ट्रीय जैव विवधता प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक तत्वों[1] पर टिप्पणी)

कांची कोहली एवं अशीष कोठारी

भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम (Biodiversity Act (**BDA**)) को २००२ में पारित किया था। अन्य चीज़ों के अलावा यह एक ऐसी रुपरेखा का उल्लेख करता है, जो जैविक संसाधनों और उससे सम्बंधित ज्ञान तक पहुँच को नियंत्रित करती है। इस के कुछ व्यापक खंड केंद्र तथा राज्य सरकारों को बाधित करते हैं कि वे जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इसके शाश्वत तथा वहनीय उपयोग के लिए कदम उठाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इन संसाधनों के उपयोग से जुड़े लाभों का सम बंटवारा हो।

BDA की धारा ३७ में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक उपाय प्रस्तावित किया गया है कि जो स्थल जैव विविधता के लिए विशेष महत्व रखते हों राज्य सरकर उन्हें 'जैव विविधता विरासत क्षेत्र' घोषित करें। यह घोषणा, ग्राम पंचायत, ज़िला परिषद, शहरी वार्ड अथवा BDA के तहत बनायीं गयी जैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee (**BMC**)), जैसे स्थानीय निकायों के साथ सलाह–मशवरा करके की जाये।

BDA के तहत स्थापित किया गया सर्वोच्च निकाय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority (**NBA**)) है। NBA ने ही देश में BHS घोषित करने के लिए मार्गदर्शक तत्व बनाये हैं। NBA के मार्गदर्शक तत्व राज्य के प्राधिकरणों पर बंधनकारक नहीं हैं क्योंकि BHS को घोषित करने के अंतिम अधिकार धारा ३७ के तहत राज्य सरकार के पास हैं। ये तत्व राज्य सरकरों को केवल एक सूचनात्मक प्रक्रिया के तौर पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। ये तत्व NBA द्वारा नियुक्त की गयी एक समिति ने बनाये हैं जिसमें सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक और एक गैर सरकारी संस्था शामिल थी।

---

१. कल्पवृक्ष को NBA से २००९ के आख़िरी तिमाही में मिले मार्गदर्शक तत्वों के संस्करण पर यह टिप्पणी आधारित है। इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि ये केवल 'मार्गदर्शक' तत्व हैं और राज्य सरकारों के लिये आदेश नहीं। BHS का ऐलान करने का अधिकार राज्य सरकारों के आधीन है और हर राज्य सरकार अपने राज्य के लिये हित साधक मार्गदर्शक तत्व बना सकती है – जैसे कि कर्नाटक राज्य ने किया है। अधिक जानकारी के लिये NBA की वेबसाइट देखें। (http: //nbaindia.org/wb-day.html).

मार्गदर्शक तत्व BDA की सीमाओं को लांघने की चेष्ठा करते है और राज्य सरकारों को (मसलन राज्य जैव विविधता बोर्ड (State Biodiversity Board (**SSB**)) प्रेरित करते हैं कि वे संस्थागत सत्ता हाइरार्की की सीमाओं को पार करें। उदाहरण के तौर पर मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार,

- BHS का प्रस्ताव (एक या एक से अधिक) किसी समुदाय या BMC द्वारा रखा जा सकता है।
- अगर कोई समुदाय कहीं पहले से संरक्षण कर रहा है तो उस स्थल को उन्ही संरक्षण नियमों के आधार पर BHS घोषित किया जा सकता है।
- यह प्रस्ताव भी रखा गया है कि BHS की घोषणा और नियोजन के हर कदम पर स्थानीय निकायों के साथ सलाह मशवरा किया जाये।

साथ ही साथ इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि BDA, जोकि इन तत्वों का जनक है, स्थानीय स्तर पर चलायी जाने वाली संस्थाओं को कम से कम शक्तियां प्रदान करता है और इसीलिए ये तत्व भी स्थानीय स्तर पर समुदायों की सहभागिता को ज़्यादा अवसर नहीं दे पातें हैं। कुछ लोग इसके लिए तर्क देते हैं कि ऐसा होने के बावजूद भी यह आवश्यक है कि इन मार्गदर्शक तत्वों को देश में हो रहे अन्य विधायी प्रयासों (उदाहरणत: अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारम्परिक अरण्यवासी (वन विषयक अधिकरों को मान्यता) अधिनियम २००६ (Forest Rights Act (**FRA**))) के साथ पढ़ा जाये। FRA अनुसूचित जातियों और वनवासी समुदायों को (कुछ शर्तों पर) जंगल की ज़मीन पर अधिकार दिलाता है (जिसे विविध राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है)। हालाँकि इसके लिए इन दोनों अधिनियमों (BDA और FRA) का तुलनात्मक अध्ययन करना भी ज़रुरी होगा। ऐसे स्थान जहाँ पहले से ही शक्तिशाली समुदाय हैं अथवा जहाँ 'सिविल सोसाइटी' की सकारात्मक मध्यस्तता हो, वहाँ समुदायों की सहभागिता की सम्भावना बढ़ जाती है। परन्तु सामान्य तौर पर केंद्रीय स्तर पर घोषित इन दोनों अधिनियमों के बारे में जानकारी और समझ सीमित है। तथापि यह ज़रुरी हो जाता है कि इन दोनों अधिनियमों को कार्यान्वित करनेवाली एजेंसियां मिलकर काम करें और यह सुनिश्चित करें कि दोनों का कार्यान्वयन न्यायसंगत हो। इसके लिए राजकीय इच्छाशक्ति और समझदारी की भी आवश्यकता होगी। साथ ही यह भी आवश्यक है कि समुदायों को भी यह मालूम हो कि BHS के प्रावधानों को अन्य अधिनियमों के साथ पढ़ना होगा। मगर फ़िलहाल वास्तविकता यही है कि NBA के मार्गदर्शक तत्वों के बावजूद भी BHS की घोषणा में समुदाय नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। इस के कई कारण हैं जैसे :

१ BDA 2002 के अनुसार BHS घोषित करने का अधिकार SBB को सोंपा गया है । इस अधिकार में BHS की जाँच की रिपोर्ट की योग्यता तय करना भी शामिल है। मार्गदर्शक तत्वों के खंड ५d में अधिनियम के इस प्रावधान का कार्यक्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस के अनुसार, BHS को जब ग्राम सभा या स्थानीय निकाय स्वीकृति देते हैं तभी SBB "प्राथमिक

अधिसूचना जारी करेगी"। इस का भावार्थ यह है कि SBB इस घोषणा को, बिना किसी अन्य अलग अध्ययन या रिपोर्ट के, आगे बढ़ा सकता है। परन्तु यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि अगर राज्य सरकार समुदाय के सुझाव को मान भी ले तो भी उसे प्रस्तावित BHS की ज़मीन के स्वामित्व अधिकारों की जाँच करने की आवश्यकता होगी। साथ ही बड़े क्षेत्रों (जहाँ एक से अधिक BMC या गाँव सम्मिलित हों और सब की अलग अलग राय हो) के लिये BHS की घोषणा, व्यवस्थापन और निगरानी में SBB का निर्णय अंतिम होगा।

२ अगर BHS की प्रबंधन योजना एक या एक से अधिक BMCs बनाती भी हैं तो भी इसे मान्यता देना और इसका कार्यान्वियन सहज करना SBB के हाथ में होगा। तथापि प्रबंधन योजना का निर्धारण सत्ता तथा हाइरार्की के प्रभाव से अछूता रहना मुश्किल ही है। परन्तु यह साफ़ तौर पर समझना आवश्यक है कि 'मान्यता' का यह अर्थ कतई नहीं है कि SBB को इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार है। इस सन्दर्भ में धारा ६d कि भाषा एकदम सटीक है - "अंतिम व्यवस्थापन योजना को SBB मान्यता देगी, और उसे कार्यान्वित करने में सहयोग करेगी"। इस का भावार्थ भी यही है कि SBB और उससे जुडी अन्य एजेंसियाँ समुदायों की प्रक्रियाओं को उदार होकर मान्यता दें। यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि BHS की घोषणा में राज्य सरकार की प्रमुख भूमिका, सत्ता और हाइरार्की के हालात में, समुदायों की निर्णय प्रक्रिया पर कितना अनिर्धारित प्रभाव डालेगी।

३ एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति BHS स्थल के कार्यान्वियन की निगरानी करेगी। SBB के अध्यक्ष इस समिति के एक प्रमुख सदस्य होंगे। परन्तु, जहाँ समुदायों की सशक्त निगरानी व्यवस्था[२] पहले से ही मौजूद हो, वहाँ राज्य स्तरीय निगरानी समिति न बनाने के बारे में इन तत्वों में कुछ नहीं कहा गया है। क्या इसका मतलब यह है कि BHS घोषित किये जाने पर स्थानीय व्यवस्था को 'supervise' (पर्यवेक्षित) किया जायेगा? या फिर यह समझना चाहिए कि 'supervision' का मतलब निगरानी नहीं है? यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि समिति के ५ सदस्य स्थानीय समुदायों से होंगे और ४ सदस्य स्वतन्त्र विशेषज्ञ होंगे। आशा है कि इस संरचना के कारण निगरानी और पर्यवेक्षण के कार्य पर सरकरी सदस्यों के नियंत्रण को टाला जा सकेगा।

४ BHS घोषित होने पर इन क्षेत्रों को 'सीड मनी' के तौर पर NBA से (SBB के माध्यम से) २० लाख रुपये मिलेंगे। जिन क्षेत्रों में संरक्षण आर्थिक दृष्टि से नहीं किया गया हो वहाँ भी यह

२. 'सिविल सोसाइटी' के कुछ सदस्यों के अनुसार, समुदाय के आधार पर और सहभाग से चलाई जानेवाली प्रक्रियाओं से, इस दुर्बलता पर काबू पाना मुमकिन होगा।

'सीड मनी' दिया जायेगा। यह बात विरोधाभासी लगती है। संरक्षण के मूल उद्देश्य को नज़रंदाज कर के समुदायों को आर्थिक प्रलोभन देने का क्या प्रभाव होगा यह तो समय ही बताएगा।

हालाँकि मार्गदर्शक तत्व एक प्रशंसनीय प्रक्रिया की शुरुवात करते है, जिसके कारण व्यापक चर्चा के बाद ही विरासत स्थलों को सरकारी मान्यता के साथ घोषित किया जा सकता है। परन्तु यह तभी संभव है जब राज्य सरकारें इसका पालन करें। इस प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण अंग है एक ऐसे गुट/टोली का गठन, जो किसी भी BHS को घोषित करने से पहले उसकी जांच करेगा। इस गुट में अधिकतम १२ सदस्य होंगे जिनमें से एक सदस्य, जहाँ तक संभव हो सके, स्थानीय समुदाय से होगा और वही गुट का नेतृत्व भी करेगा। मार्गदर्शक तत्वों में गुट की संरचना की विस्तृत जानकारी दी गयी है। BHS की जाँच के इस गुट (जिसमें ज़्यादातर सदस्य स्थानीय समुदाय या NGO के होंगे) का गठन या तो स्थानीय समुदाय कर सकता है या SBB। ऐसे प्रावधान महत्वपूर्ण प्रगति दिखाते हैं और यह आशा है कि राज्य सरकरें इन्हें महत्व देंगी। BHS घोषित किये जाने के बाद खंड ३७ (३) के अनुसार जिन व्यक्तियों अथवा समुदाय के घटकों को इस घोषणा से आर्थिक नुकसान पहुँचा हो, राज्य सरकार उनकी क्षतिपूर्ति के लिए परियोजना बनाएगी। मार्गदर्शक तत्व यही मत प्रस्तुत करते हैं कि BHS घोषित होने के कारण स्थानीय समुदाय के व्यवहारों पर (और संसाधनों के उपयोग पर) ऐसी कोई रोक न लगायी जाये जो उन्होंने अपनी इच्छा से न अपनाई हो।

BHS मार्गदर्शक तत्व जब बनाये जा रहे थे उसी समय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर BHS की घोषणाएं की जाने लगी थी। आज कर्नाटक राज्य के SBB ने NBA के मार्गदर्शक तत्वों को आवश्यक बदलाव के साथ अपना लिया है और उनमे एक नए तत्व **'तकनीकी आधार गुट'** को जोड़ा है। यह गुट दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन योजना बनाने में स्थानीय समुदायों कि मदद करेंगे। इन राज्यों के SBB को BHS की समय समय पर निगरानी करने के लिए निगरानी समिति नियुक्त करने का अधिकार भी होगा।

अन्य राज्यों में BHS बनाना अभी बाकी है और ऐसे में मार्गदर्शक तत्वों के कुछ प्रगतिशील हिस्सों को दबाने के कुछ सरकारी विभागों के प्रयास ज़रुर रहेंगे। अन्य अधिनियमों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। हमें यह मानना पड़ेगा कि कोई अधिनियम या मार्गदर्शक तत्व अकेले देश कि समस्याग्रस्त राजकीय शासनविधि को नहीं बदल सकेगा। अत: सभी सम्बध्द नागरिकों को यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या प्रस्तुत अधिनियम स्थानीय संघर्षों को कोई नया मौका या ऐसा कोई साधन देगा जोकि उन्हें और समय प्रदान करें ताकि वे भविष्य के लिए बेहतर तैयार हो सकें।

जैवविविधता विरासत स्थलों (BHS) के चयन और व्यवस्थापन के लिये मार्गदर्शक तत्व[3]

१. प्रस्तावना

- जैवविविधता अधिनियम (BDA), २००२, की धारा ३७ के तहत स्थानीय संस्थाओं के साथ विचारविमर्श कर के जैवविविधता के लिये महत्व रखनेवाले क्षेत्रों को राज्य सरकार एक राजपत्र द्वारा 'जैवविविधता विरासत स्थल' (बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट या BHS) घोषित कर सकती हैं।
- धारा ३७ की उपधारा २ के तहत केंद्र सरकार के साथ विचारविमर्श कर के राज्य सरकार BHS के व्यवस्थापन और संरक्षण के लिये नियम बना सकती हैं।
- धारा ३७ की उपधारा ३ के तहत ऐसी घोषणा से जिन व्यक्तियों या समुदायों को आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा हो, उनकी क्षतिपूर्ति करने या उनका पुनर्वास करने के लिये सरकार को परियोजनाएँ बनानी होंगी।
- अधिनियम के उपर्निर्दिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रख कर राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) ने राज्य सरकारों द्वारा BHS के चयन और व्यवस्थापन के लिये निम्नलिखित मार्गदर्शक तत्वों को जारी किया है।

२. BHS का महत्व और लक्ष्य

a. जैवविविधता का परिस्थितिकीय सुरक्षा से गहरा ताल्लुक है। इसी कारण मानव का कल्याण भी जैवविविधता पर निर्भर है। जिन स्थलों का पारम्परिक पद्धतियों से प्रबंध किया जाता हो, वहाँ जैवविविधता का संरक्षण अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये, और जहाँ अत्याधिक मात्रा में जीवजातियों का उपयोग किया जाता हो वहाँ की प्रजातियों को क्षति रोकने के लिये ऐसे स्थलों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

b. ऐसे स्थल कई बार प्रकृति, संस्कृति, समाज और प्रौद्योगिकी के दरमियान आदानप्रदान का एक माध्यम बन जाते हैं, जिस के ज़रिये प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समाज की आजीविका की सुरक्षा भी की जा सकती हैं। कृषकों के द्वारा तैयार की गयी प्रजातियाँ भी जंगली प्रजातियों के संपर्क में रहने से अधिक सशक्त बन जाती हैं।

c. BHS स्थानीय समाज के लिये गर्व की बात होनी चाहिये, और यह पूरे राष्ट्र के लिये आदर्श माना जाना चाहिये। इस के अलावा ऐसे स्थलों के कारण स्थानीय समाज की आनेवाली पीढ़ियों के लिये नैसर्गिक संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो जाती है। पश्चिम घाट में

---

३. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA) ने राज्य सरकारों के लिये ये तत्व २००९ के अंत में जारी किये थे। कल्पवृक्ष संस्था इन तत्वों को कोई बदलाव किये बगैर और सुधार किये बिना वितरित कर रही है। पृष्ठ १० पर दी हुई फुटनोट्स का प्रबंध कल्पवृक्ष ने संदर्भ के लिये किया है।

स्थित 'देवराई' क्षेत्रों को, और इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों को तुरन्त BHS घोषित किया जा सकता है।

d. समाज के सभी वर्गों के लोगों को प्रकृति के संरक्षण की नैतिकता की तालीम देना आवश्यक है। BHS के निर्माण से यह साध्य हो सकता है, और इसी के साथ संसाधनों का शोषण रोक कर परिवेश की अधोगती टाली जा सकती हैं।

e. BHS निर्माण करने से स्थानीय समाजों के प्रचलित व्यवहार में ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगेंगे जो उन्होंने स्वेच्छा से न अपनाए हों। वस्तुतः यहाँ प्रकृति के संरक्षणद्वारा स्थानीय समाज के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का उद्देश्य हैं।

३. परिभाषा

BHS उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिनकी पारिस्थितिकी अद्वितीय एवं नाज़ुक हो। ऐसे क्षेत्र ज़मीन या जलमय (नदी, तालाब, समुद्र और समुद्री किनारे) टापुओं पर कहीं भी हो सकते हैं। जैवविविधता से घनी ये क्षेत्र निम्नलिखित तत्वों में से एक या अधिक तत्वों से परिपूर्ण हो सकते हैं जैसे की –

- वन्य और स्थानीय समुदाय द्वारा परिष्कृत की गई प्रजातियाँ और उनके अनेक प्रकार,
- विशेष प्रजातियाँ जो केवल उसी स्थल में पायी जाती हों,
- ऐसी प्रजातियाँ जिन का अस्तित्व ख़तरे में हों या जो कम मात्रा में पाई जाती हों,
- ऐसी प्रजातियाँ जिन पर अन्य स्थानीय प्रजातियाँ निर्भर होती हों,
- उत्क्रांतिक दृष्टी से महत्वपूर्ण प्रजातियाँ,
- परिष्कृत प्रजातियों के जंगली सदस्य,
- ऐतिहासिक महत्व रखनेवाली प्रजातियों के अश्म रूप (फ़ासिल्स),
- सांस्कृतिक, नैतिक, या सौंदर्य मूल्य रखनेवाली प्रजातियाँ, चाहे उनके साथ मानव का दीर्घकालीन संपर्क रहा हो न हों।
- इस्तेमाल किये गये बाकी सब शब्दों की परिभाषाएँ जैवविविधता अधिनियम, २००२, की धारा २ में समाविष्ट हैं।

४. किन क्षेत्रों को BHS बनाया जा सकता है?

BHS की पहचान ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार की जा सकती है। ऐसे सभी क्षेत्र, जिन में आगे दी हुई विशेषताएँ मौजूद हो, BHS बनाए जाने के काबिल है।

a. जैवविविधता से परिपूर्ण ऐसे क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक, अर्ध–प्राकृतिक और मानवनिर्मित क्षेत्र एक दूसरे से संलग्न हों।

b. जहाँ कृषि–पर्यावरणीय व्यवस्था और प्रथाएँ हो और पालतू प्रजातियाँ हो।

c. जो भारी मात्रा में जैवविविधता के धनी होते हुए सांस्कृतिक महत्व के स्थान भी हो, जैसे की पवित्र वन या पूज्य माने गये पेड़, या किसी और प्रकार के क्षेत्र जो लोकसमूहों ने संरक्षित किये हुए हो।

d. ऐसे क्षेत्र, चाहे वे अत्यंत छोटे ही क्यों न हो, जहाँ उन प्रजातियों को आश्रय

मिलता है जिनका अस्तित्व ख़तरे में हो या जिन क्षेत्रों को वे गलियारों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हों, जैसे कि समुदायद्वारा संरक्षित क्षेत्र या शहरों में स्थित हरेभरे क्षेत्र और जलमय टापू।

e. BHS के क्षेत्र में ज़मीन के वैध स्वामित्व अधिकार सरकार के, व्यक्ति के या समुदाय के आधीन हो सकते हैं।

f. जहाँ तक हो सके, यह ऐसा क्षैत्र हो, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (सुधारित), २००२, द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में शामिल न हो।

g. जल या स्थल के ऐसे आधिवास जिन का मौसमी स्थलांतर करनेवाली प्रजातियों के द्वारा उपयोग किया जाता हैं तथा जहाँ उनके लिये अन्न की उपलब्धता, और प्रजनन की संभावना हों।

h. ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग की संशोधन प्रशाखा द्वारा लंबे समय से संशोधन के लिये संरक्षित किये हों।

i. बेंगलूरु स्थित फ़ाउंडेशन फॉर रीवाइट–लाइज़ेशन औफ़ लोकल हेल्थ ट्रैडिशन्स (FRLHT) के सहकार्य से स्थापित किये गये औषधीय वनस्पति संरक्षण क्षेत्र मेडिसिनल प्लांट्स कौज़र्वेशन एरियाज़ (MPCA)।

५. BHS की पहचान और घोषणा

राज्य जैवविविधता परिषदें (SBBs) जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) या ग्राम सभा, पंचायत, शहर की मुहल्ला समिति, वन सुरक्षा समिति, और आदिवासी परिषद जैसे अन्य स्थानीय निकायों के द्वारा BHS बनाने के लिये सुझाव आमंत्रित करेगी। SBB योग्य माध्यमों के ज़रिये सभी ग्रामीण समाजों, सामाजिक निकायों, किसानों/मछुआरों और आदिवासियों के संगठनों, नागरी गटों, संशोधन संस्थाओं, सरकारी तथा अन्य संस्थाओं तक प्रस्तावित BHS के बारे में जानकारी पहुँचाएगी। SBB स्थानीय भाषाओं में रेडिओ, वृत्तपत्र, समुदाय के साथ चर्चा, वग़ैरह के ज़रिये और विविध सरकारी विभागों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों तक लिखित रूप में यह जानकारी पहुँचा सकती हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय भी किये जा सकते हैं।

a. BHS का प्रस्ताव स्थानीय या सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी रखा जा सकता है (जैसे कि पंचायतें, BMC और गैर सरकारी संस्थाएँ, इत्यादि)। पर्यावरण व विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिये ऐसा प्रस्ताव रखा जा सकता हैं।

b. SBB सब प्रस्तावों को इकठ्ठा कर के ऐसे स्थलों की सूचि बनाएँगे, जो BHS माने जा सकते हैं। यह सूचि जब बनाई जा रही हो, तब अगर और BHS के सुझाव आएँ तो उनका भी विचार किया जाएगा, और योग्य लगे तो उन्हे भी सूचि में जोड़ दिया जाएगा।

c. स्थानीय निकायों, ग्राम सभाओं, नागरी मुहल्ला समितियों, आदि संस्थाओं में सार्वजनिक चर्चाएँ होंगी, जिन में उपयोग

में लाए जा रहे संसाधनों की मात्रा में कटौती का, और उसके परिणामों का विचार किया जाएगा। चर्चाओं में महिलाओं को और समाज के सभी वर्गों को शामिल कराना आवश्यक होगा।

d. सभी स्थानीय निकायों का अनुमोदन मिलने पर SBB प्राथमिक अधिसूचना जारी करेगी, जिस में BHS की सीमाओं का स्पष्ट निर्देश होगा, तथा कोई प्रतिबंध लगाने हो, तो उनका भी निर्देश होगा। स्थानीय वृत्तपत्रों और अन्य माध्यमों के ज़रिये अधिसूचना को प्रकाशित किया जाएगा, और वहाँ के संसाधनों से लाभ पानेवालों से सुझाव और एतराज़ के मुद्दे आमंत्रित किये जाएँगे।

e. इन सुझावों और एतराज़ के मुद्दों पर आधारित एक गुट्ट को BMC या संबद्ध स्थानीय निकाय या SBB गठित करेगी। यह गुट्ट BHS का अभ्यास कर के उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बारह सदस्यों की बनी इस टीम का नेतृत्व कोई स्थानीय व्यक्ति करे तो बेहतर माना जाएगा। टीम में स्थानीय निकायों ने नामांकन किये हुए अनुभवी और विशेषज्ञ स्त्रीपुरूषों द्वारा समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

i. पर्यावरणविषयक कार्य करनेवाली संस्थाओं के प्रतिनिधि भी टीम में शामिल होंगे, जिन्हे क्षेत्र के पक्षी, प्राणी और पौधों की जानकारी हों।

ii. ऐसी सामाजिक संस्थाएँ भी टीम में शामिल होंगी जो स्त्रीपुरूषों के सामाजिक स्थान और उन से जुड़ी समस्याएँ सुलझाने के कार्य में जुटी हो।

iii. इसी प्रकार कृषक संस्थाएँ और संशोधन संस्थाएँ भी गुट्ट में प्रतिनिधित्व पाएँगी।

iv. सरकार के कृषक, वन या अन्य संबद्ध विभागों के संशोधन कक्ष भी गुट्ट में प्रतिनिधित्व पाएँगे।

v. स्थानीय विद्यापीठ एवं महाविद्यालयों के वनस्पतिशास्त्र और प्राणिविज्ञान शाखाओं के सदस्य भी शामिल किये जायेंगे।

vi. स्थानीय जनसमूहों से कोई एक व्यक्ति समिति का अध्यक्ष बनेगा।

f. तीन से छह महीनों तक यह गुट्ट स्थानीय जनसमूह के साथ अध्ययन करेगा। जंगलवासियों, किसानों, चरवाहों और म छुआरों के साथ चर्चाएँ होंगी। जनसमूह ने बनाए हुए PBR[४]/PRA[५] का उपयोग इस अध्ययन में किया जाएगा। लोगों के सहयोग से BHS का नक्शा बनाया जाएगा। राज्य सरकार के सभी विभाग इस अध्ययन में

४. 'पीपल्स बायोडायवर्सिटी रेजिस्टर' याने वह रेजिस्टर जिस में स्थानीय लोग स्थानीय जैवविविधता के बारे में लिखते हैं।

५. 'पार्टीसिपेटरी रूरल अप्रेज़ल' उस प्रक्रिया का नाम है जिसके ज़रिये ग्रामीण लोगों की जानकारी व राय को विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के नियोजन और व्यवस्थापन में शामिल किया जाता हैं।

हर प्रकार सहयोग करेंगे। जिन मुद्दों पर आधारित स्थल का अध्ययन किया जाएगा, वे हैं –

i. ज़मीन/जल विषयक अधिकार/ स्वामित्व, सामुदायिक संसाधन, प्रशासनिक नियंत्रण और ज़मीन और संसाधनों के उपयोग की पार्श्वभूमि,
ii. ज़मीन के स्वमित्व अधिकारों की वर्तमान स्थिति, सार्वजनिक संपत्ति अधिकारों की वर्तमान स्थिति, ज़मीन और संसाधनों के उपयोग की प्रथाएँ, ज़मीन और जंगल के विवादित खंड, कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण, अधिकार एवं जिम्मेदारियाँ,
iii. समुदाय की रचना, सामाजिक विशेषताएँ, आर्थिक व महिला व पुरूषों की भिन्नताओं पर आधारित संसाधनों पर निर्भरता, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल,
iv. मौजूदा संस्थाएँ, उनकी विशेषताएँ, संसाधनों के विषय में जारी किये गए स्थानिक नियम, और निर्णर्यप्रक्रिया में महिलाओं का और अन्य पिछड़े गटों का सहयोग होना,
v. क्षेत्र की पर्यावरणीय जानकारी, संकटग्रस्त वन्य प्रजातियों की जानकारी तथा कृषक जातियों की जानकारी, और उनके ऊपर खतरों के बारे में जानकारी,
vi. वन्य प्राणियों का उस क्षेत्र को आश्रय या गलियारे के रूप में इस्तेमाल किए जाने के विषय में जानकारी,
vii. स्थानिक समुदायों की कृषि संबंधी व अन्य सांस्कृतिक प्रथाएँ, जिन का जैवविविधता पर असर हो,
viii. आजीविका निर्माण करने की क्षेत्र की क्षमता (संसाधनों का उपयोग, समुदायद्वारा पर्यटन सुविधाएँ – 'इको–टूअरिझम', आदि) सहित,
ix. स्थानिक समुदायों द्वारा जैवविविधता के इस्तेमाल पर, प्रतिबंधो से होनेवाले परिणाम।

g. टीम इस जाँच का विवरण BMC या अन्य स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगी, और वह टीम के निष्कर्षो को और BHS के प्रस्ताव को स्थानीय भाषा में इलाके के सारे निवासियों तक पहुँचाएगी। इस के बाद यह विवरण SBB को पेश किया जाएगा।
h. SBB तीन महीनों के अंदर इस विवरण की समीक्षा करेगी, और उसी के साथ आवश्यकता होने पर स्थानिक समुदायों के साथ दुबारा विचार विमर्श भी करेगी।
i. SBB और स्थानीय लाभधारकों की संयुक्त सभा BHS स्थल पर होगी और इस में प्रस्तावित BHS के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
j. BHS का ऐलान और अधिसूचना का मसौदा SBB द्वारा बनाया जाएगा, और उसे सारे माध्यमों के ज़रिये, और विशेष रूप से स्थानीय भाषा में प्रसिद्ध किया जाएगा।
k. अधिसूचना का मसौदा प्रसिद्ध करने के ३० दिन बाद BMC या जो भी स्थानीय

निकाय हो, जनसुनवाई का प्रबंध कर सकती है, जहाँ BHS का विस्तृत वर्णन किया जाएगा, और लोगों के विचार और टिप्पणीयाँ एकत्र किए जाएँगे। BHS स्थापन करने के परिणामों के बारे में अगर कोई संदेह हों, तो उन्हे मिटाने की कोशिश की जाएगी। स्थानीय समुदायों को विश्वास दिलाया जाएगा, की उनके पारंपारिक अधिकार BHS की घोषणा से प्रभावित नहीं होंगे।

l. BHS के ऐलान के बाद SBB सारे सरकारी विभागों को उसके बारे में लिख सकती है।

m. ऊपर दी हुई प्रक्रिया हर स्थिति में इष्ट होते हुए भी इस बात पर ध्यान देना चाहिये, की कई बार स्थानिक समुदाय इसका पालन नहीं कर पाएँगे। अगर किसी ख़तरे से बचने के लिए, या अन्य कारण से, BHS के ऐलान तुरन्त किया जाना अनिवार्य हो, तो प्रक्रिया शायद पूरी नहीं हो पाएगी। खास तौर पर जहाँ BHS के प्रस्ताव ऐसे लोकसमूहों से मिले हों जिन्हों ने पहले ही पर्यावरण के संरक्षण में कीर्ति और सफलता पाई हों, और उन्हे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये BHS का मान्यताप्राप्त होना जरूरी हो। ऐसे मामलों में अधिसूचना के पहले विस्तारपूर्वक जाँच की आवश्यकता को हटाया जाएगा, लेकिन आधिसूचना जारी करने के बाद जाँच आवश्यक होगी, और ऐसी जाँच पूर्ण होने तक कोई ऐसा विस्थापन नहीं किया जाएगा और कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए जाएँगे, जो समुदायों ने पहले ही स्वेच्छा से न अपनाए हो।

६. BHS का व्यवस्थापन

a. BMC या स्थानीय निकायों द्वारा तय की हुई अन्य स्थानिक संस्था, कानून में दिये गये कर्तव्यों के अलावा, BHS का व्यवस्थापन भी करेगी। ऐसे BHS जिनके अंतर्गत अनेक स्थानीय संस्थाएँ आती हों, वहाँ BHS के व्यवस्थापन के लिये BMC या अन्य स्थानीय निकायों के साथ जुड़ी संस्थाएँ एक समिति बनाएगी, जिस ने SBB की मान्यता भी पाई होगी।

b. इस प्रबंधक समिति में स्थानीय समुदाय के हर वर्ग के प्रतिनिधी शामिल होंगे। विशेष रूप से उन लोगों के प्रतिनिधी, जो भारी मात्रा में वहाँ के नैसर्गिक संसाधनों को इस्तेमाल कर रहे हो और जो उस स्थल के पारंपारिक संरक्षणकर्ता हो।

c. BHS के लिये ५ से १० साल की व्यवस्थापन योजना बनाना BMC या BHS की प्रबंधक समिति की ज़िम्मेदारी है।

d. अंतिम व्यवस्थापन योजना को SBB मान्यता देगी, और उसे कार्यान्वित करने में सहयोग करेगी। याने वह संबद्ध सरकारी विभागों को सूचना देगी की वे इस योजना को कार्यान्वित करने में सहायता करें, और ज़रूरत हो तो अपनी योजनाएँ और परियोजनाएँ बदल दें, ताकि जैवविविधता को क्षति पहुँचानेवाले

व्यवहार उनसे हटा दिये जाएँ, और समुदायों को जैवविविधता संरक्षण करने में सक्षम बनाया जाए। ज़रूरत के अनुसार सरकारी विभागों और गैर सरकारी संस्थाओं के लिये इस बारे में जानकारी दिलाने के लिये कार्यक्रम आयोजित किये जाएँगे।

e. SBB और संबद्ध सरकारी विभाग क्षतिग्रस्त वनों, वन्य जीव, जन्तुओं व उनके आवास स्थलों की पुनर्निर्मिति करने में सहायता करेंगे, और ज़रूरत हो और मुमकिन हो, तो किसी और इलाके से उन संकटग्रस्त या विलुप्त होती वन्य प्रजातियों की पुनर्स्थापना करने में सहायता करेंगे।

f. जहाँ BHS के लक्ष्य को साध्य करनेवाली निसर्ग संरक्षण व्यवस्थापन प्रक्रियाएँ पहले से जारी हो, तो उन्हे BHS की व्यवस्थापन योजना का भाग मान लिया जाएगा, और उनकी विस्तृत जानकारी देनेवाले दस्तावेज़ बनाऐ जाएँग।

g. अगर कोई सरकारी योजना कार्यान्वित करने से BHS को क्षति पहुँचने का संभव हो, तो उसे स्थगित कर दिया जाएगा।

h. BHS में स्थानिक समुदायों द्वारा सामान्य रूप से संसाधनों के जो उपयोग जारी हों, उनपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएँगे।

i. अगर कुछ मामलों में संसाधनों के उपयोग का नियमन करना आवश्यक हो, तो ऐसा नियमन लोकसमूह से विचार विमर्श करके ही किया जाएगा।

j. जहाँ वन विभाग की ज़मीन और अन्य सरकारी ज़मीन पर BHS घोषित किया गया हो, तो उनका व्यवस्थापन और वहाँ के संसाधनों के उपयोग के बारे में निर्णय सरकार के संबद्ध विभाग करेंगा।

७. BHS की व्यवस्थापन योजना बनाने के लिये आवश्यक होंगे –

a. BHS का नक्शा, जिस में घोषित प्रशासनिक सीमाएँ स्पष्ट की गई हो।

b. वर्तमान स्वामित्व अधिकारों का विस्तार।

c. भूमि के उपयोग का नमूना, पर्यावरण संरक्षण करनेवाली प्रथाएँ और लोकसमूहों की संसाधनों पर रही निर्भरता के बारे में जानकारी।

d. प्रमुख जैविक प्रजातियाँ और उनकी वर्तमान स्थिति - (वे लुप्त होने की कगार पर हों या अन्य क्षेत्रों में नहीं पायी जाती हो, वगैरह)।

e. मौसमी पलायन करनेवाले पशु पक्षी अगर उस स्थान में आश्रय लेते हों, या वह उनका प्रजनन क्षेत्र हो या वे वहाँ से गुजरते हो, तो उस बारे में जानकारी।

f. लोकसमूहों के द्वारा उपयोग किये जा रहे संसाधनों के प्रकार और मात्रा, और स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनका महत्व, तथा संसाधन बेचने से मिलनेवाली आमदनी।

g. पिछले १० सालों में अगर संसाधनों के उपयोग के तरीके में बदलाव आया हो, तो उस बारे में जानकारी।

h. क्षेत्र के पेड़पौधे, पंछी, जानवर, वग़ैरह के बारे में जानकरी।

i. उस क्षेत्र में सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ जारी हों, तो उनके बारे में विस्तृत जानकारी।

j. जैवविविधता के बेहतर संरक्षण के लिये, और संसाधनों के उपयोग के कारण आजीविकाओं में सुधार लाने के लिये स्थानिक समुदायों द्वारा दिये हुए सुझाव।

k. वर्तमान में या भविष्य में BHS को संभावित ख़तरे।

l. पर्यावरण संरक्षण के लिये प्रबंधकों ने निहित किये हुए नियम, कानून तथा नैसर्गिक संसाधनों के शाश्वत उपयोग पर आधारित लोकसमुदायों की आजीविकाओं में सुधार लाने के लिये निहित किये हुए नियम।

m. पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक स्तर पर BHS स्थापन करने से अपेक्षित परिणाम (अपेक्षित आर्थिक लाभ के अनुमान के साथ)।

n. योजना के प्रत्येक हिस्से को पूर्ण करने में लगनेवाले समय का अंदाज़ा, और उनके सफल होने की संभावना को दर्शानेवाले तत्वों का विवरण।

o. व्यवस्थापन योजना बनाने की प्रक्रिया ऐसी न हो, जो समुदायद्वारा किये जा रहे निसर्ग संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के व्यवस्थापन में बाधा ड़ाले। अगर समुदाय अपने तरीके से निसर्ग संरक्षण कर के शाश्वत व्यवस्थापन कर पा रहे हों, तो अलग व्यवस्थापन योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कई मामलों में समुदाय शीघ्रता से व्यवस्थापन योजना नहीं बना पाएँगे। ऐसी परिस्थिति उनके क्षेत्र को BHS के तौर पर मान्यता देने से इंकार करने का कारण नहीं हो सकती है।

p. व्यवस्थापन योजना पाने पर SBB उसे आंकने के लिये विशेषज्ञों की समिति गठित करेगी, जो आवश्यक हो तो BHS क्षेत्र पर जाएगी और स्थानीय समुदाय और निकायों के साथ विचारविमर्श कर के व्यवस्थापन योजना के लिये उनका अनुमोदन प्राप्त करेगी। ज़िला स्तर पर की जानेवाली नियोजन प्रक्रियाओं में यह व्यवस्थापन योजना भी जोड़ी जा सकती है, ताकि संबद्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा उचित निधि और सुविधाओं का प्रबंध किया जा सके।

q. अनुमोदित व्यवस्थापन योजना मिलने पर SBB उसे स्वीकार करेगी।

r. नियमित रूप से एक निश्चित कालावधि के बाद व्यवस्थापन योजनां पर पुर्नविचार कर के उसे स्थिति के अनुसार बदला जाएगा। यह कार्य SBB द्वारा गठित की हुई विशेषज्ञ समिति, जैवविविधता व्यवस्थापन समिति या अन्य स्थानीय संस्थाओं की सिफ़ारिशों के अनुसार किया जाएगा, और फिर SBB

उसे स्वीकार करेगी। सारे लाभधारकों को इस बदलाव की सूचना देने के बाद ही योजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

८. BHS की निगरानी

a. राज्य स्तर पर SBB एक निगरानी समिति गठित करेगी।

b. इस निगरानी समिति में १२ सदस्य रहेंगे, जो वन्य और अन्य प्रजातियों के संरक्षण के काम में विशेषज्ञ होंगे, तथा सामाजिक और आर्थिक पहलूओं के बारे में जानकार होंगे। वे विविध श्रेणियों के होंगे, जैसे की–

i. SBB के अध्यक्ष,

ii. SBB के सदस्य सचिव,

iii. स्थानीय समुदायों के ३ प्रतिनिधि,

iv. वन विज्ञान/वन्य जीव/कृषि संबंधी जैवविविधता/मछलियों की पैदास या BHS से संबद्ध अन्य विषयों के ४ विशेषज्ञ,

v. स्थानीय BMC या BHS व्यवस्थापन समिति या BMC न हो तो स्थानीय निकायों से संबद्ध स्थानीय संस्थाओं का १ सदस्य,

vi. स्थानीय निकाय/पंचायत समिति ने नामजद किया हुआ १ सदस्य,

vii. महसूल विभाग का १ प्रतिनिधि।

c. राज्य स्तरीय निगरानी समिती व्यवस्थापन योजना के अनुसार चलाए हुए कार्य की एक निश्चित कालावधि के बाद विश्लेषण कर के उस का विवरण SBB को पेश करेगी। इस में योजना के हर हिस्से की उपलब्धियाँ और सुधारों के लिये सिफ़ारिशें निर्देशित की होंगी।

d. निगरानी समिति का ३ साल का कार्यकाल रहेगा।

९. बजट

a. राज्य सरकारद्वारा BHS घोषित किये जानेपर हर BHS की प्रारंभिक स्थापना के लिये NBA रू.२० लाख का आर्थिक सहाय्य ('सीड मनी') SBB को देगी। इसी के साथ BHS की आर्थिक ज़रूरतों को स्थानीय निकाय (या निकायों) के वार्षिक बजट में भी शामिल किया जाएगा। SBB ने BHS घोषित करने पर SBB द्वाराही राज्य सरकार भी हर BHS को 'सीड मनी' के तौर पर रू. ५ लाख देगा। BHS का व्यवस्थापन करनेवाली BMC या अन्य संस्थाओं को ऐसी संस्था माना जाएगा जो सब सरकारी परियोजनाओं से, और अन्य आर्थिक स्त्रोतो से, वैध आर्थिक लाभ उठा सकती है। BMC या अन्य संस्थाओं के डाक घर में या राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले हुए खाते (जहाँ ब्याज मिलता हो) उपरोक्त धन राशि को जमा करने में सक्षम माने जाएँगे। BHS का व्यवस्थापन करनेवाली संस्था के जमा–खर्च का अन्य स्थानीय निकायों की तरह वार्षिक लेखा–परीक्षण किया जाएगा।

b. SBB अपने राज्य में बनाए/घोषित किये जा रहे BHS की जानकारी NBA को करा

देगा। अपनी विशेषज्ञ समितियों के ज़रिये NBA समय समय पर BMC या अन्य संस्थाओं या SBB के द्वारा BHS के व्यवस्थापन का अवलोकन या परिक्षण करा सकती है। व्यवस्थापन की अनुपालन–परीक्षा NBA करवा सकता है।

१०. अन्य

a. सारे BHS को प्रसिद्धि दिलाने के लिये SBB लोकप्रिय माध्यमों का इस्तेमाल करेगी, और कार्यशालाएँ आयोजित करेगी। ब्रोशर (पत्रक), वगैरह भी बनाए जाएँगे। NBA केवल इस कार्य के लिये आवश्यक धन राशि SBB को उपलब्ध कराएगी।

b. हर साल NBA राष्ट्रीय स्तर पर एक BHS पुनरावलोकन सभा ('रिव्यू मीटिंग') का आयोजन करेगी, जिस में गैरसरकारी संस्थाएँ, BMC और BHS का व्यवस्थापन करनेवाली अन्य संस्थाएँ, सारे SBB, सरकारी विभागों के अधिकारी, संशोधन संस्थाएँ, विशेषज्ञ वग़ैरह को शामिल किया जाएगा। इस सभा का विवरण भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जाएगा।

c. मार्गदर्शक तत्वों का यह केवल नमूना है, जिसे बहुत सारे विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श कर के बनाया गया है, और जो योग्य परिवर्तन के साथ, और BDA के उद्देश्य और गठन के अनुसार नियम बनाने में विविध राज्यों के काम आ सकता है।

d. केंद्रीय सरकार के साथ NBA द्वारा विचार–विमर्श कर के राज्य सरकारें ऐसे नियम घोषित कर सकती हैं।

जैवविविधता विरासत स्थलों (BHS) के चयन और व्यवस्थापन के लिये मार्गदर्शक तत्व
निर्माण : कल्पवृक्ष, अपार्टमेंट ५, श्री दत्त कृपा, ९०८ डेक्कन जिमखाना, पुणे ४११ ००४
फोन : 91-20-25675450 फोन/फॅक्स : 91-20-25654239
ईमेल : kvoutreach@gmail.com वेबसाईट : www.kalpavriksh.org

संपादन : मिलिंद वाणी
मार्गदर्शक : नीमा पाठक ब्रूम
अनुवाद : अनुराधा अर्जुनवाडकर, मीनाक्षी कपूर, विकल समदरिया
इतर सहयोग : गोविंद खलसोडे
चित्रांकन : राम चंद्रन, मधुवंती अनंतराजन
आर्थिक सहयोग : मिज़ेरिओर, जर्मनी

बुक–पोस्ट सेवामें